# MRA STUNION THE Gazette of India

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511] No. 511] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2011/भाद्र 25, 1933

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2011/BHADRA 25, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 684(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (3) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :-

''(3) श्री मनोज कुमार संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, डॉ. आर. पी. रोड, नई दिल्ली-110001''।

3.यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

> [फा. सं. 1/15/2010-पीआई] रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2011

G.S.R. 684(E).—In exercise of the powers conferred by Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Ministry of Corporate Affairs, number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011.

- 2. In the said notification, for serial No. (3) and entries thereto, the following shall be substituted, namely:—
  - "(3) Shri Manoj Kumar, —Member"
    Joint Secretary,
    Ministry of Corporate Affairs,
    'A' Wing, Shastri Bhawan,
    Dr. R. P. Road,
    New Delhi-110001.
- 3. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/15/2010-PI]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

